

**<sup>1</sup>[फार्म सं. 10क**

(नियम 17क/11कक/2ग/5गक देखें)

पंजीकरण या अनंतिम पंजीकरण या सूचना के लिए आवेदन

निगमन/संविधान विवरण	1	पैन	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	
	2	अनुभाग कोड										
	<sup>2</sup> [2क	उप-श्रेणी										
	2ख	आपको पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>									
	3	गतिविधियों की प्रकृति	धर्मार्थ <input type="checkbox"/> धार्मिक <input type="checkbox"/> धार्मिक सह धर्मार्थ <input type="checkbox"/>									
	4	संविधान का प्रकार	न्यास <input type="checkbox"/> सोसाइटी <input type="checkbox"/> कंपनी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>									
	4क	क्या आवेदक एक लिखत के अंतर्गत स्थापित किया गया है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>									
	4ख	निर्गमन/निर्माण/पंजीकरण की तिथि										
	4ग	पंजीकरण या निर्गमन संख्या										
	4घ	प्राधिकरण अनुदान पंजीकरण/निगमन										
	5	आवेदक की वस्तुएँ										
6	क्या न्यास विलेख में प्रावधान अपरिवर्तनीय है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>										
अन्य पंजीकरण	7	क्या आवेदक दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत है या एफसीआरए अधिनियम के अंतर्गत या आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>									
	7क	प्रासंगिक कानून/पोर्टल										
	7ख	पंजीकरण क्रमांक										
	7ग	पंजीकरण की तिथि										
	7घ	पंजीकरण कराने वाले प्राधिकरण										
	7ङ	तारीख जिससे पंजीकरण प्रवृत्त है										
	8क	क्या आवेदक द्वारा पूर्व में किए गए पंजीकरण के किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>									
	8ख	क्या धारा 10 आयकर अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत छूट का दावा करना है	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>									
9क	सभी लेखक(कों)/संस्थापक(कों)/न्यासी(न्यास)/सोसाइटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक (एस)/शेयर होल्डिंग के 5% या अधिक शेयरधारक/पदाधिकारी(ओं) का विवरण आवेदन की तिथि के अनुसार:											
	क्रम सं.	नाम	संबंध	शेयरधारक के मामले में हिस्सेदारी का प्रतिशत	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	मोबाइल नंबर	ईमेल पता			
9ख	यदि कोई (जैसा कि पंक्ति 9क में उल्लिखित है) कोई व्यक्ति नहीं है, तो आवेदन की तारीख पर वास्तविक व्यक्तियों जो आवेदन की तारीख पर ऐसे व्यक्ति के हिताधिकारी स्वामी (5% या अधिक) हैं, के निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:											
	क्रम सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	हिताधिकारी स्वामित्व का प्रतिशत						
संपत्ति और दायित्व	10	क्या आय की विवरणी पिछले या पूर्व वर्ष जिसके लिए नियत तारीख समाप्त हो चुकी है, फाइल की गई है	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>									
	आवेदन की तारीख पर पंक्ति 11 से 19 के ब्यौरे, प्रदान किया जाता है (कम रुपये में):											
11	कोरपस		12	कोरपस से भिन्न निधियां/आरक्षित और अधिशेष								

1. आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से प्रतिस्थापित।

2. आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 9.5.2022 से अतःस्थापित।

	13	दीर्घकालिक दायित्व		14	अन्य दायित्व		<sup>3</sup> [14क	कुल देनदारियां]	
	15	भूमि और भवन		16	अन्य स्थिर आस्तियां				
	17	धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूपों या ढंगों में किए गए विधिधान/निक्षेप							
	18	उपरोक्त पंक्ति संख्या 17 में उल्लिखित से भिन्न विनिधान/निक्षेप							
	19	अन्य आस्तियां							
	<sup>4</sup> [19क	कुल आस्तियां]							
आय विवरण	20	पूर्व वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है, के अव्यवहित तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय:							
		वर्ष	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	अन्य आय	कुल		
	21क	क्या निधि या संस्था ने धार्मिक प्रकृति का कोई व्यय अपगत किया है						हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
धार्मिक क्रियाकलाप	21ख	यदि हाँ, तो कृपया पूर्व वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है, के अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय उपबंधित करें:							
		क्र. सं.	पूर्व वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय			कुल आय का प्रतिशत	

<sup>4क</sup> मैं \_\_\_\_\_, पुत्र/पुत्री घोषणा करते हैं कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं वचन देता हूँ कि मैं धारा कोड 2/7/8/9/10/12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन (जो भी लागू हो उसे काट दें) के लिए आवेदन कर रहा हूँ और \_\_\_\_\_ (संस्था का नाम, न्यास या निधि) क्रियाकलाप में स्थायी खाता संख्या (पैन) \_\_\_\_\_ इस आवेदन को करने की तारीख को या उससे पूर्व आरंभ नहीं हुआ है।

मैं आगे यह भी वचन देता हूँ कि न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी की शर्तों में या इसमें इसके पश्चात् किसी भी समय बनाए गए संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता में यह प्ररूप दाखिल कर रहा हूँ \_\_\_\_\_। (पदनाम) पैन होने के कारण \_\_\_\_\_ और मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख :

हस्ताक्षर

या (कोड 1/3/4/5/6/11)

मैं/ \_\_\_\_\_, पुत्र/पुत्री/पुत्री \_\_\_\_\_ घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं इसमें इसके पश्चात् किसी भी समय न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी की शर्तों में या संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार यह प्ररूप दाखिल कर रहा हूँ \_\_\_\_\_ (पदनाम) स्थायी खाता संख्या \_\_\_\_\_ और यह कि मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख :

हस्ताक्षर

(जो भी लागू नहीं है उसे हटा दें)

<sup>5</sup>[प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण]

1. आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

<sup>4क</sup>[2. धारा 10(23ग)/12क/80 छ के अधीन रजिस्ट्री के लिए आवेदन/पंक्ति 2 में निम्नलिखित कोड में से एक चयन करें:

1	धारा 12क की उप-धारा (i) के खंड (कग) के उप-खंड (i)	01
2	धारा 12क की उप-धारा (i) के खंड (कग) के उप-खंड (iv) की मद (क)	02
3	खंड (i), धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	03
4	खंड (i), खंड 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	04

3. आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 9.5.2022 से अंतःस्थापित।

4. आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 9.5.2022 से अंतःस्थापित।

4क. आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 1.10.2023 से प्रतिस्थापित।

5. आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 9.5.2022 से प्रतिस्थापित।

5	खंड (i), खंड 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	05
6	खंड (i), खंड 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	06
7	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	07
8	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (v) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	08
9	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	09
10	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	10
11	धारा 80 छ की उप-धारा (5) के खंड (कग) के उप-खंड (i)	11
12	धारा 80 छ की उप-धारा (5) के परंतुक के खंड (iv) का उप-खंड (क)	12]

धारा 35 के उप-धारा (1) के लिए पांचवें परंतुक के अधीन सूचना के लिए आवेदन, पंक्ति 2 में निम्न कोडों में से किसी एक का चयन करें:

क्र.सं.	श्रेणी	धारा 35 की उपधारा (1) के सुसंगत खंड	सेवशन कोड	
1	वैज्ञानिक अनुसन्धान	खंड (ii)	अनुसंधान संगम	13
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	14
		खंड (iia)	कंपनी	15
			अनुसंधान संगम	16
2	सामाजिक विज्ञान	खंड (iii)	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	17
			अनुसंधान संगम	18
3	सांख्यिकी	खंड (iii)	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	19
			अनुसंधान संगम	19

2क. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 14, 17 या 19 का चयन करता है, तो विकल्प "उप-श्रेणी" लागू होगा और निम्नलिखित उप-श्रेणी में से एक का चयन किया जाएगा:

क्र.सं.	उप-श्रेणी
1.	विश्वविद्यालय
2.	महाविद्यालय
3.	अन्य संस्था]

3. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 11 या 12 का चयन करता है तो पंक्ति 3 (क्रियाकलापों की प्रकृति) में "धार्मिक" विकल्प लागू नहीं होगा।

4. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 13-19 का चयन करता है तो पंक्ति 3 (क्रियाकलापों की प्रकृति) और पंक्ति 5 (उद्देश्यों) को नहीं भरा जाएगा।

5. पंक्ति संख्या 4(ख), 4(ग) और 4(घ) को केवल तभी भरना होगा जब पंक्ति संख्या 4(क) में प्रश्न का उत्तर हां में हो।

6. पंक्ति संख्या 5 में "आवेदक के उद्देश्य" के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का चयन किया जाना है:

(i)	धार्मिक
(ii)	निर्धनों को को राहत
(iii)	शिक्षा
(iv)	चिकित्सा अनुतोष
(v)	योग
(vi)	पर्यावरण संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्य जीव सहित)
(vii)	स्मारक या स्थान कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं का संरक्षण
(viii)	साधारण लोक उपयोगिता की किन्हीं वस्तुओं की उन्नति

7. पंक्ति संख्या 7 में प्रश्न का उत्तर हाँ होना चाहिए, यदि आवेदक दर्पण पोर्टल या एफसीआरए 2010 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है। पंक्ति संख्या 7(क) से 7(ड) को भरने की आवश्यकता है, यदि पंक्ति संख्या 7 के प्रश्न का उत्तर हाँ है। पंक्ति संख्या 4(ख), (ग) और (घ) में उपबंधित निगमन/सृजन/रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे यहां उपलब्ध नहीं करए जाने चाहिए। यदि आवेदक या तो केंद्री सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है तो नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदक द्वारा आज्ञापक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे प्रदान किए जाने चाहिए और दर्पण पोर्टल तथा एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार होना चाहिए:

सुसंगत विधि/पोर्टल	समर्थ होना, जब पंक्ति 2 में निम्नलिखित कोड चुने जाएं	आज्ञापक/अनाज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण संख्या।	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)ग के खंड (iv)/(v)/(vi)/(vिक) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	03 या 04 या 05 या 06	आज्ञापक	आज्ञापक अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के ब्यौरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोदन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	01-19	आज्ञापक, यदि धारा 10(46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	वह तारीख जिससे ऐसी अधिसूचना प्रभावी होगी
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/12कक/12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	01	आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या उपबंधित की जानी चाहिए	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के ब्यौरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोदन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	13-19	आज्ञापक	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोदन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण	11	आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के ब्यौरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	वह तारीख जिससे इस तरह का रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	01-19	आज्ञापक यदि एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	आदेश की तारीख	गृह मंत्रालय	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो
नीति आयोग के दर्पण के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या	01-19	यदि आवेदक या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो
अन्य	01-19	आज्ञापक यदि आवेदक का आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	समुचित प्राधिकारी	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो

9. पंक्ति संख्या 9क के स्थान पर, "संबंध", में निम्नलिखित में से एक या अधिक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

- (क) लेखक
- (ख) संस्थापक
- (ग) विन्यासक
- (घ) न्यासी
- (ङ) समाज के सदस्य
- (च) शासी परिषद के सदस्य
- (छ) निदेशक
- (ज) शेरधारिता में 5 प्रतिशत या अधिक धारण करने वाले शेरधारक
- (झ) पदाधिकारी
- (ञ) मुख्य अधिकारी
- (ट) सत्यापन हेतु सक्षम व्यक्ति
- (ठ) मुख्य सचिव
- (ड) सचिव
- (ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- (ण) मुख्य वित्त अधिकारी
- (त) प्रबंधक
- (थ) निर्धारिती
- (द) कोई अन्य मुख्य अधिकारी
- (ध) प्रबंध निदेशक
- (द) कोई अन्य मुख्य अधिकारी
- (ध) प्रबंध निदेशक
- (न) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]

9. पंक्ति 9क और 9ख के स्तंभ में, विशिष्ट पहचान संख्या, निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

क. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है, तो आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाएगा:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है तो आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाएगा:

पहचान का प्रकार	कोड
उस देश की करदाता पहचान संख्या जहां वह व्यक्ति निवास करता है,	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक फोटो पहचान संख्या	5
ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

10. पंक्ति संख्या 11 से 20 का भरा जान अपेक्षित होगा यदि:

(क) यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 02 या 07 या 08 या 09 या 10 या 12 का चयन करता है; या

(ख) यदि आवेदक कोड 01, 03 या 04 या 05 या 06 या 11 का चयन करता है और पंक्ति 10 में विकल्प "नहीं" चुना जाता है।

11. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 12 का चयन करता है तो पंक्ति संख्या 21क और 21ख को भरना होगा।

<sup>7</sup>[11.क. आवेदक के पास पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण अनुमोदन प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें]

<sup>8</sup>[निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है]

अनुभाग कोड	संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
01	● जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	● यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं हैं) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा) (यदि अंतिम किसी भी तीन वर्षों का संपरीक्षित वार्षिक लेखा नहीं है तब अलग से प्रत्येक वर्ष के लिए स्वप्रमाणित शून्य घोषणा प्रमाणपत्र संलग्न करें);
02	● जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक या न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	● जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं हैं) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां
	● जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार कारगर उपक्रम किया जाता है और आवेदक वित्तीय वर्ष जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं हैं) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित ऐसे कारबार करने के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां और प्रति ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● यथास्थिति, धारा 12क या धारा 102कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आवेदन के अस्वीकृत आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
03/04/05/06	● जहां एक लिखत के अधीन आवेदन सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	● विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	● आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति।
	● जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं हैं) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।

7. आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 9.5.2022 से अंतःस्थापित।

8. आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 9.5.2022 से प्रतिस्थापित।

07/08/09/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>● जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां</li> <li>● धारा 10(23ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जहां लिखत के अधीन आवेदक निर्मित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● जहां लिखत के अन्यथा आवेदक निर्मित किया गया है, या स्थापित किया गया है, आवेदक के निर्माण, या स्थापना के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● यथास्थिति, कंपनीयों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसाइटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो;</li> <li>● विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>● आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जहां एक लिखत के अधीन आवेदन सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां।</li> <li>● आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;</li> </ul>
13-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● जहां रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>● विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>● धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।</li> </ul>
1,3,4,5,6,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्व-प्रमाणित शपथपत्र जहां आवेदक पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रमाणपत्र नहीं रखता है]</li> </ul>